


Form No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवान् सुखविन्द्र सिंह बनाम दीदार सिंह आदि किस्म मुकदमा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53-88-92-ए-209 आरटीएक्ट वाद संख्या 61/2023

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियलस जज	हुक्म तारीख व तामिल
09.10.2024	<p>वादी सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी 21 जी0बी0 तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वादी द्वारा प्रार्थना प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान में आपसी पंचायती राजीनामा होने के कारण प्रार्थी/वादी प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं कर अपने अधिकार सुरक्षित रखते हुए मौजूदा सूरत में विद्रा करना चाहता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर करने के आदेश दिये जाते है।</p> <p>निर्णय आदिनांक 09.10.2024 को सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर</p>	

